राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमाक ई--11/नर्सिंग/नर्स 2/2019/ दिनांक

–: आदेश :–

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा अवमानना संख्या 08/2014 अंतर्गत एस.बी.सिविल रिट पिटीशन संख्या 1028/99 श्री प्रकाश गौड पुत्र स्व.श्री भवानी शकर गौड मे पारित निर्णय दिनाक 25.01.11 के विरूद्व विभाग द्वारा माननीय खण्ड पीठ मे दायर अपील संख्या 1260/2011 को माननीय खण्ड पीठ द्वारा दिनाक 20.03.13 को खारिज किये जाने के फलस्वरूप माननीय एकल पीठ के निर्णय दिनाक 25.01.11 की पालना मे याचिकाकर्ता को निलम्बन दिनाक 01.02.80 से सेवा मे मानते हुये मृत्यु दिनाक 11.10.2005 तक की समस्त परिलाभ एव अन्य भुगतान किया जाना था जिसकी पालना मे याचिकाकर्ता को निदेशालय के आदेश कमाक 38 दिनाक 25.01.17 के द्वारा कुल राशि रूपये 17,61,592 की स्वीकृति जारी कर भुगतान किया जा चुका है।

याचिकाकर्ता के द्वारा उक्त भुगतान से सतुष्ट नही होने पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर मे अवमानना संख्या 333/16 अतर्गत एस.बी.सिविल रिट पिटीशन संख्या 9573/15 दायर की जिसमे माननीय न्यायालय द्वारा दिनाक 19.07.17 को निम्न प्रकार निर्णय पारित किया है

In View of the above, the present petition is dismissed as rendered infructuous.Rule is discharged. In case, the petitioner still has any grievance, he is at liberty to file an appropriate representation within one month from today. In case same is filed within stipulated period, the respondent shall decide the same within three months from the date of receipt of representation by passing a speaking order

माननीय न्यायालय के पारित निर्णय दिनाक 19.07.17 के परिपेक्ष्य मे याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनाक 17.08.17 के कम मे याचिकाकर्ता को शेष बकाया मैस भत्ता 42220/–, वर्दी भत्ता 10428/–, धुलाई भत्ता 1260/–, बोनस 39221/– कुल राशि **रूपये 93129/– (अक्षरे तिरानवे हजार एक सौ उनतीस रूपये मात्र)** का भुगतान राजस्थान सेवा नियमो के अनुसार **सवेतन मद नॉन प्लान** से एव उपार्जित अवकाश का अतिम अवशेष का **रूपये 1,67,200/– (अक्षरे एक लाख सडसठ हजार दो सौ रूपये मात्र)** का भुगतान **बजट मद 2071–01–800–(01)–00–84** किये जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

उक्त स्वीकृति वित्त विभाग की आई.डी.कमाक 101700189 दिनाक 18.01.2017 एव 101900282 दिनाक 25.02.19 के अनुसरण मे जारी की जा रही है।

Sd/
(मुकुल शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एव स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर

क्रमाक ई 11/नर्सिंग/नर्स 2/ 2019/ 421 दिनाक 11-04-19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, चिकित्सा एव स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर को उनकी आईडी कमाक 339 दिनाक 25.02.2019 के कम मे।
2. सयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एव स्वास्थ्य (ग्रुप 3) विभाग, राजस्थान जयपुर को उनके आईडी कमाक 2347 दिनाक 26.02.2019 के कम मे।
3. उप विधि परामर्शी मुख्यालय।
4. अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर।
5. सयुक्त निदेशक, चिकित्सा एव स्वास्थ्य सेवाये, जोन जोधपुर/उदयपुर।
6. मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर।
7. मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी प्रतापगढ एव समन्वयक को प्रेषित कर लेख है कि प्रकरण मे नियुक्त अतिरिक्त महाधिवक्ता राजस्थान उच्च न्यायालय से सम्पर्क कर उपरोक्तानुसार जवाब तैयार करवाकर आगामी दिनाक से पूर्व जबाबदावा माननीय न्यायालय मे प्रस्तुत कर यथाशीघ्र अवमानना प्रकरण को खारिज करावे। वित्त विभाग के निर्देशानुसार सपूर्ण देय भुगतान की गलत गणना करने के कारण सपूर्ण देय परिलाभो का भुगतान नही किये जाने का उत्तरदायित्व निर्धारण कर दोषी कार्मिको का दायित्व निर्धारण कर प्रस्ताव भिजवावे।
8. श्री प्रकाश गौड पुत्र स्व.श्री भवानी शकर गौड याचिकाकर्ता को रिट मे उल्लेखित पते पर द्वारा मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी प्रतापगढ।
9. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश प्रति विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करे।
10. आदेश पत्रावली।

(मुकुल शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एव स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर

Sys 1/F/RBA/Order